

पात्रता प्रमाण पत्र (फर्म का नाम और फर्म पंजीकरण संख्या)

ए. फर्म का विवरण

पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को एसटीसीबी/सीसीबी की आस्ति का आकार (लेखापरीक्षित आंकड़े)	तीन वर्ष की अवधि के लिए फर्म से जुड़े* पूर्णकालिक साझेदारों (एफटीपी) की संख्या	कुल एफटीपी में से, तीन साल की अवधि के लिए फर्म से जुड़े एफसीए साझेदारों की संख्या	सीआईएसए/आईएसए/डीआईएसए योग्यता वाले एफटीपी/वैतनिक सीए की संख्या	लेखा परीक्षा में अनुभव के वर्षों की संख्या#	(5) में से, एसटीसीबी/सीसीबी में सांविधिक लेखापरीक्षा में अनुभव के न्यूनतम वर्ष	पेशेवर कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

* ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की आस्ति आकार वाले एसटीसीबी/सीसीबी के मामले में अनन्य रूप से संबद्ध

विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

बैंक का नाम	बैंक का प्रकार (वाणिज्यिक बैंक / यूसीबी / एनबीएफसी (एचएफसी सहित) / एआईएफआई / एसटीसीबी / सीसीबी / आरआरबी में से)	वर्षवार की गई लेखा परीक्षाएँ (बढ़ते क्रम में)	लेखा परीक्षा का प्रकार निर्दिष्ट करें (सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षा (एससीए) / वाणिज्यिक बैंक की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा (एसबीए) / [यूसीबी / एनबीएफसी (एचएफसी सहित) / एआईएफआई / एसटीसीबी / सीसीबी / आरआरबी) की सांविधिक लेखा परीक्षा]
-------------	---	---	---

बी. अतिरिक्त जानकारी:

- (i) अनुशंसित लेखा परीक्षा फर्मों के गठन प्रमाणपत्र की नवीनतम प्रति।
- (ii) क्या फर्म लेखा परीक्षा फर्मों के किसी नेटवर्क की सदस्य है या फर्म का कोई साझेदार किसी अन्य लेखा परीक्षा फर्म में वर्तमान साझेदार है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।
- (iii) क्या फर्म को चालू वित्तीय वर्ष में किसी अन्य एसटीसीबी/सीसीबी द्वारा एसए के रूप में नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।
- (iv) क्या फर्म को किसी विनियामक/सरकारी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा कार्य निर्वहन से प्रतिबंधित किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

(v) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय विनियामक/सरकारी एजेंसी द्वारा फर्म/फर्म के किसी भी साझेदार के खिलाफ बंद और लंबित दोनों, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों आदि का विवरण।

सी. फर्म द्वारा घोषणा

फर्म एसटीसीबी/सीसीबी के एसए की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती है। यह प्रमाणित किया जाता है कि न तो मुझे और न ही हमारे किसी साथी /मेरे/उनके परिवार (परिवार में पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई, बहन या उनमें से कोई भी शामिल होगा जो पूरी तरह या मुख्य रूप से सनदी लेखाकार पर निर्भर है) या जिस फर्म/कंपनी में मैं/वे साझेदार/निदेशक¹ हैं, उसे किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है। यह पुष्टि की जाती है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

साझेदार के हस्ताक्षर

(साझेदार का नाम)

दिनांक:

¹इस घोषणा के प्रयोजन के लिए, कंपनियों द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, जहां फर्म के भागीदार को पेशेवर क्षमता में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें कोई वित्तीय हित नहीं है।